न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
144/2025	23/05/2025	27/08/2025

1. मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नाच्छा आयु 80 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम बामनवाटी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभावक
श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील वादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय:–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बामनवाटी, पटवार हल्का मंहगी, तहसील आंधी जिला जयपुर का रहने वाला है तथा उक्त ग्राम मे प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5100है0 हिस्सा 1/3 स्थित है। जिस पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और कृषि कार्य करता आ रहा है। वादी ने जब अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की नकले निकलवाई तो मालूम चला की प्रार्थी का जमाबन्दी में नाम नानगा पुत्र नानच्छा जाति बलाई सा0देह खातेदार अंकित दर्ज है। जो कि गलत तथा लिपिकीय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही एवं शुद्व नाम मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नानच्छा है जो कि सही है। वादी को बचपन में मूल्या–मूल्या कह कर पुकारते थे इस कारण मूल्या व मूलचन्द ये दोनों नाम वादी के ही है। जिसे उक्त दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति दूसरा कोई नही है। वादी की अन्य राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता सं0 65 पुराना 66 नया वादी का नाम मूल्या पुत्र नान्छा जाति बलाई सा0देह खातेदार अंकित दर्ज है जो कि सही है। वादी के समस्त दस्तावेजों के अनुसार वादी का सही नाम मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नान्छा अंकित जो कि सही है। वादी के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैक पासबुक व अन्य राजस्व रिकार्ड आदि में वादी का नाम मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नान्छा अंकित है जो सही व वास्तविक है। ग्राम पंचायत मंहगी के लेटर पेड अनुशंसा पत्र के अनुसार वादी को नानगा पुत्र नान्छा व मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नान्छा के नामों से जाना व पहचाना जाता है तथा उक्त दोनों नाम वादी के ही है। तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति गांव में नही है। अतः वादग्रस्त उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में त्रुटिवश गलत दर्ज नाम नानगा पुत्र नान्छा जाति बलाई सा0देह खातेदार के स्थान पर मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नान्छा जाति बलाई सा0देह खातेदार के नाम से शुद्व कर दुरूस्त करते हुये घोषणा करने की कृपा करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2025/671 दिनांक 20.06.2025 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 9 रकबा 0.51है0 किस्म बारानी3 नानगा पुत्र नानछा हि0 1/3 वगै0 जाति बलाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का मूल नाम मूल्या उर्फ मूलचन्द है व सम्पूर्ण ग्राम मे प्रार्थी को मूल्या उर्फ मूलचन्द के नाम से ही जाना जाता है। प्रार्थी का जमाबन्दी में नाम बोलते नाम अनुसार नानगा पुत्र नानछा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का दस्तावेजों में मूल नाम मूल्या उर्फ मूलचन्द है जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाना चाहता है। खसरा नम्बर 9 के साबिक खसरा नम्बर 3/185 है जो की पूर्व से नानगा पुत्र नानछा के नाम से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। जिसे प्रार्थी मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नानछा करवाना चाहता है। प्रार्थी का बोलता नाम मूल्या उर्फ मूलचन्द व नानगा था जो बोलते नाम के अनुसार रिकार्ड दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी दुरूस्त

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

करवाना चाहता है। संलग्न दस्तावेजों व पंचायत पत्र व मौका जॉच अनुसार मूल्या उर्फ मूलचन्द व नानगा पुत्र नानछा एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बामनवाटी, पटवार हल्का मंहगी, तहसील आंधी, जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5100है0 भूमि के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम नानगा पुत्र नानछा के स्थान पर मूल्या उर्फ मूलचन्द उर्फ नानगा पुत्र नान्छा उर्फ नानछा का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तद्नुसार डिकी जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवांया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

1. मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नान्छा आयु 80 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम बामनवाटी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :- 144/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रमेश कुमार जाजोरिया एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बामनवाटी, पटवार हल्का मंहगी, तहसील आंधी, जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5100है0 भूमि के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम नानगा पुत्र नानछा के स्थान पर मूल्या उर्फ मूलचन्द उर्फ नानगा पुत्र नान्छा उर्फ नानछा का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 27.08.2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner

करवाना चाहता है। संलग्न दस्तावेजों व पंचायत पत्र व मौका जॉच अनुसार मूल्या उर्फ मूलचन्द व नानगा पुत्र नानछा एक ही व्यक्ति प्रतीत होता है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

अतः वकील वादी की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बामनवाटी, पटवार हल्का मंहगी, तहसील आंधी, जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5100है0 भूमि के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम नानगा पुत्र नानछा के स्थान पर मूल्या उर्फ मूलचन्द उर्फ नानगा पुत्र नान्छा उर्फ नानछा का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवांया जाकर आज दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

1. मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र नाच्छा आयु 80 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम बामनवाटी, तहसील आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :– 144/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रमेश कुमार जाजोरिया एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बामनवाटी, पटवार हल्का मंहगी, तहसील आंधी, जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.5100है0 भूमि के रिकार्ड में अंकित वादी का नाम नानगा पुत्र नानछा के स्थान पर मूल्या उर्फ मूलचन्द उर्फ नानगा पुत्र नान्छा उर्फ नानछा का अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री दिनांक 27.08.2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
हन्तानावकील			महन्तानावकील		
र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
ुत0			मुत0		
मेलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ